न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 252/18 **निर्णय दिनांकः—24.09.2018**

1. जहांगीर खॉ पुत्र नत्थू खॉ जाति ढाढी निवासी कुम्भासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर एमएफएफआर विस्थापित हाल वार्ड नम्बर 11, सुरतगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—12—2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 18—12—2003 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 4 एमकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 234/20 के किला नम्बर 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15 में 9 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 16 ता 19, 22 ता 25 में 8 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 17 बीघा

कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। जिसकी कोई सूचना अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को प्रदान नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर आवंटन आदेश प्राप्त नहीं सका। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—12—2003 के विरूद्व अपील दिनांक 26—06—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—12—2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 26—06—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चक चक 4 एमकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 234/20 के किला नम्बर 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15 में 9 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 16 ता 19, 22 ता 25 में 8 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 17 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं आवंटन आदेश प्राप्त करने स्वयं उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सर्वप्रथाम नोटिस क्रमांक 12544 दिनांक 26—12—2002 जारी किया गया कि वे आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु वांछित सबूत सहित उपस्थित आवे। उपरोक्ट नोटिस के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को पुनः एक अन्य नोटिसए क्रमांक 6897 दिनांक 22—08—2003 जारी किया गया कि वे आवंटन आदेश प्राप्त करने वांछित सबूतों सहित उपस्थित आये। अपीलांट बावजूद सूचना के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने र अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन उपस्थित नहीं आने व सबूतो के अभाव में दिनांक 18—12—2003 को निरस्त कर दिया गया।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन आदेश प्राप्त करने व आवंटन हेतु वांछित सबूत प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् सबूतों सहित उपस्थित नहीं आने के आधार पर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 18—12—2003 यथावत बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर